तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जगदीश विश्नोई बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 236 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.21	अपीलार्थी जगदीश विश्नोई पुत्र ठाकरराम विश्नोई, पता खिलेरी कृषि फार्म, बाईपास रोड़,चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.09..20 में उसके द्वारा (1) भारतमाला प्रोजेक्ट योजना के तहत आपके क्षेत्राधिकार क्षेत्राधिकार में किसानों को भूमि अवाप्ति अवार्ड राशि जिन जिन किसानों को दी गई मय नाम, पिता का नाम, खसरा नम्बर एवं अवार्ड राशि सहित प्रमाणित सूची व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ.अ./2005/2020/2849 दिनांक 20.10.20 के जरिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी औसियां कार्यालय से संबंधित होने से प्रेषित कर दिया गया तथा उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) ने पत्रांक 986 दिनांक 10.12.2020 पत्र प्रति सूचनार्थ प्रेषित की। अपील के संलग्न दस्तावेज व प्राप्त पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) ने अपने पत्रांक 985 दिनांक 10.12.20 के जरिये अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचित किया गया कि आप कार्यालय समय उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करें। लोक सूचना अधिकारी ने यह कार्यवाही विलम्ब से अपील दायर होने के पश्चात् की गई जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयावधि में किया जावे। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत हो सकती है अतः अपीलार्थी से भी अपेक्षा की जाती है कि यदि जो सूचना वो प्राप्त करने के लिए गंभीर है वो सूचना चिन्हित करने के लिए लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	